राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
राजकीय प्राथमिक विधालय बनाम सरदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	674/2022	

10/04/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/04/2026 को पेश हो |

17/04/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश किया, जिस पर वादी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश किया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03/08/2022 पारित करते हुये विवादग्रस्त भूमि विधालय के खेल मैदान की भूमि होने के कारण उक्त वाद को सुनने का अधिकार न्यायालय को नही होना धारित करते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दिवे स्वीकार कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये ख़ारिज किये जाने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्यायोचित्त प्रतीत नही होती है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय को विचाराधीन वाद का साक्ष्य सबूत के विवेचन उपरान्त निस्तारण किया जाना कानूनन आवश्यक था, परन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही वाद को ख़ारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राजकीय प्राथमिक विधालय बनाम सरदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	674/2022	

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03/08/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत विवेचन करते हुये वा. का गुणावगुण पर विधिसम्मत निस्तारण करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |